बिहार में मुस्लिम लीग की भूमिका

सत्यनारायण मंडल
शोध छात्र
राजनीतिक विज्ञान
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

अंग्रेजो की शासन की मूलमंत्र "फूट डालों और राज करों" को भारत में प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से किया। 1985 में कांग्रेस की स्थापना के समय नरमदल हावी था परन्तु धीरे–धीरे इसमें भी फूट पड़ने लगा। कांग्रेस भी दो भागों में बँट गया। गरम दल और नरम दल जो अंग्रेज सरकार का मनोकूल था। इसी बीच बंगाल विभाजन हुआ। अंग्रेज हिन्दु और मुसलमानों को तोड़ने का जो मनसूबा पाल रखा था वह दिखने लगा। बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारम्भ में बिहार में मुस्लिम लीग का कोई जनाधार नहीं था परन्तु धीरे–धीरे बिहार में भी हिन्दु–मुस्लिम मनमुटाव पनपने लगा। बिहार के मजहरूल हक ने हिन्दु–मुस्लिम एकता कि पक्षधर थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के समय बिहार में हिन्दु–मुस्लिम एक मिशाल थी। उस समय की बंगाली समाचार पत्र ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि " बिहार से हम उस प्रांत के हिन्दुओं और मुसलमानों के मख्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है।" 'इंडियन मिरर' ने इस पर टिप्पणी लिखते हुए कहा– "बिहार में हिन्दु और मुसलमानों के मध्य सौहार्द्र तथा सद्भावना स्थापित करके हम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आशा की जाती है कि सम्पूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेगे ओर यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिन्दु–मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा।" परन्तु मुस्लिम लीग की स्थापना से इंग्लैंड में सरकार खुश थी। शिमला स्थित वायसराय के दरबार में भी इस पर भारी प्रसन्ता व्यक्त की गई। एक उच्च अंग्रेज पदाधिकारी ने जार्ज मिन्टो से कहा– "श्रीमान् को मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि आज अत्यधिक महत्वपूर्ण बात हुई है (1 अक्टूबर 1906) उसके इतिहास पर अनेक–अनेक वर्षो तक दृष्टिगत रहेगा इस घटनरा से 6,20,000 लोगों को राजद्रोहात्मक विरोधी पक्ष के साथ मिल जाने पर ब्रेक लगा दिया गया है।"[1]

बिहार में हिन्दु–मूस्लिम सम्प्रदायों के बीच सौहाद्रपूर्ण संबंध थे। अंग्रेज सरकार परम्परागत साम्राजवादी नीति के अनुसार देश के लोगों में फूट डालने एवं जहाँ कहीं भी पहले से दरारे हो उन्हें चौड़ी करने का अनवरत प्रयत्न कर रही थी जिसका परिणम मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के अली इमाम ने की थी।[2] मजहरूल हक मुस्लिम लीग के संस्थापक सचिवों में से एक थे। बाद मे बिहार में मुस्लिम लीग का गठन कर प्रांतीय सचिव बने। इस प्रकार मुस्लिम लीग के आरंभिक दिनों में दो नेताओं मजहरूल हक और अली इमाम की सक्रियता अधिक रही।

बिहार में मुस्लिम नेता राष्ट्रवाद के पक्ष में निष्ठावान थे। ये लोग उदारवादी विचारोंकेथे एवं इनका दृष्टिकोण विश्वनीय था। 30 दिसम्बर 1908 को अमृतसर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से सर अली इमाम ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही– "हम भारत के शिक्षित मुसलमान इस देश में निवास करने वाले अन्य समुदाय के लोगों के अपेक्षा अपनी जन्मभूमि के प्रति कम प्रेम नहीं रखते। हमारा उससे युग–युग का साथ रहने का संबंध है और हम अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम में किसी से भी कम नहीं।" 1908 में बिहार में जब प्रांतीय कॉग्रेस समिति का गठन हुआ तो उसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की सच्चिदानंद ने लिखा "मजहरूल हक सहित मुसलमान नेताओं ने बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होने का बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस सम्मेलन में पढ़े–लिखे अन्य वर्ग के मुसलमान एक साथ शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे।" आधुनिक बिहार के इतिहास में श्री मजहरूल राष्ट्रवादी थे। वे हिन्दु–मुस्लिम एकता के प्रबल हिमायती थे। वे पृथक निर्वाचन के विरोधी थे ओर इस प्रश्न पर उन्हों अपने सह धर्मियों से कोई समझौता नहीं

किया। पृथक निर्वाचन पर उन्होंने कहा मुसलमानों का हित इसी में है कि वे स्थानीय निकायों में मिलकर रहें। उन्होंने कहा जो कूछ व्यक्ति दोनों सम्प्रदाय के वोटो से चुना जाता है, वह केवल एक सम्प्रदाय क वोटों से चुने गये व्यक्ति से ज्यादा अच्छा प्रतिनीधि होता है। इस बात पर बहुत सारे मुसलमान विरोध किया, परन्तु वे परिणामों की चिंता किये बगैर दृढ़ता से लड़ते रहे। वस्तुतः वे हिन्दु–मुस्लिम एकता के सबसे बड़े दूतों में से एक थे।"

बिहार में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोधश्री हक एवं अली इमाम ने जोरदार शब्दो में किया। अगस्त 1937 को मूस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने बिहार मंत्रीमंडल में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने का प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस की आलोचना किया ओर जिन्ना को पटना आने का निमंत्रण दिया। जिन्ना के बिहार दौरों के बाद मुस्लिम लीग की गतितिधियाँ द्रुत गति से बढ़ा। मार्च 1938 तक मुस्लिम लीग ने 70,000 हजार सदस्य बना लिए तथा इसकी कई शाखाएं खुल गई। जिन्ना एवं अब्दुल अजीज ने मंच से पृथक निर्वाचन की मांग एवं बन्दे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में गाये जाने का विरोध किया। 26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर के बीच पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26 वाँ अधिवेशन चला अपने अध्यक्षीय भाषण में मुहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की आलोचना करते जुए कहा "कांग्रेसी नेतृत्व अपनी संस्कृति हम पर लादने और हिन्दु राज्य की स्थापना पर तुली हुई है।"

भारत शासन अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद अंग्रेजो ने 'अनियंत्रित साम्प्रदायिकता की नीति' अपना ली और पूर्ण साम्प्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहन देने लगे। साम्प्रदायिक आधार पर मुस्लिम हितो का गैर जनतांत्रिक ढंग से मनवाने के लिए कृत संकल्पित मुस्लिम लीग और उसके एकमात्र प्रवक्ता मुहम्मद अली जिन्ना भी हिमायती बन गया जिसका ब्रिट्रीश सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। देश की राजनीतिक जीवन के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि साम्प्रदायिकता एक सर्वाधिक विघटनकारी शक्ति के रूप में विकसित हो चुकी थी। कांग्रेस हर प्रकार के साम्प्रदायिक मतभेद का विरोध कर रही थी और साम्प्रदायिक एकता को प्रोत्साहन उसका प्रमुख उद्देश्य था। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रीमंडल ने यह ढृढ़ संकल्प कर रखा था कि साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ाने की हर साजिश कठोरता पूर्वक दबा दी जाएगी किन्तु कई कारणों से हिन्दु–मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था और जहाँ तहाँ साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों की धार्मिक प्रतिबद्धता ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ कर लिया और मुस्लिम लीग धीरे–धीरे कर कांग्रेस विरोधी हो गई 26 अगस्त 1938 को को मुस्लिम लीग के सदस्यों ने फिलिस्तान दिवस मनाया और बिहार मंत्रीमंडल की सूरक्षा नीति एवं वर्षा योजना की आलोचना की। अधिवशन की स्थागत समिति के अध्यक्ष अब्दल अजीज ने मुसलमानों के पृथक व्यक्तित्व पर बल देते हुए कहा कि "कांग्रेस वास्तव में हिन्दु राज्य की स्थपना करना चाहती है, "सम्मेलन में कांग्रेसी मंत्रीमंडल की विद्यामंदिर, मुस्लिम जनसम्पर्क आन्दोलन, वेदे मातरम् गान, राष्ट्रीय झंडे तथा हिन्दी को सर्वदेशीय भाषा बनाने सम्बन्धी नीति की खुलकर आलोचना की गई। बिहार के तात्कालनी शिक्षामंत्री ने वेदेमातरम् और राष्ट्रीय झंडा फहाराये जाने के सम्ब्ध में सरकार की नीति अस्पष्ट की। वंदे मातरम् का गाया जाना ऐच्छिक कर दिया गया तथा यह अनुशंसा की गई कि शिक्षण संस्थानों की प्रबंधन समिति एवं छात्रों की सहमति के बाद ही झण्डा फहराया जाएगा।

1937–38 के दौरान मुस्लिम साम्प्रदायिकता के दूसरा पक्ष भी था। कांग्रेस के द्वारा विभिन्न प्रांतों में जब तक मंत्रीमंडल का गठन नहीं हुआ था तब तक मुस्लिम लीग के नेताओं को राष्ट्रीय आन्दोलनसे कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन नये मंत्रीमंडल के के बाद जमीदारियों पर खतरा मंडराता दिखाई देने लगा। उन्हें भय था कि आम मुसलमान शिक्षित और संगठित होकर अपने–अपने अधिकारों की मांग करने लगते तो मुस्लिम राजनीति पर हावी शहरी मध्यम वर्ग तथा परमपरागत धर्मिक प्रवक्ताओं का वर्चस्व समाप्त हो जाता मूसलमान राजनीतिक द्वष्टि से पिछड़े हुए थे और अर्द्ध साम्प्रदायिक संभ्रतजनों ने उन्हें पिछलग्गू बना रखा था। उन्हें समझाया गया कि कांग्रेस जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की हिमायत इसलिए करता है कि संख्या बल के आधार

पर हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक हिन्दु हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा कर ले ओर राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा सबके लिए समान कानून का राज्य स्थपित कर भारतीय मूसलमान की संस्कृति तथा सबके लिए समान कानून का राज्य स्थापित कर, भारतीय मूसलमानों की संस्कृति तथा उसकी अलग पहचान को हमेशा के लिए मिटा दे। धर्मभीरू मुसलमानों के द्वारा भी यह अपील किया गया कि हिन्दु एवं कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग के साथ जूड़ जाना चाहिए।"[5]

मार्च 1940 को मुस्लिम नलीग के लाहौर अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए जिन्ना ने कहा– "पिछले बारह सौ सालों का इतिहास में एकता नहीं हो सकी है और यह तथ्य इस बात का गबाह रहा है कि इस दौरान भारत हमेशा हिन्दु ओर मुस्लिम बँटा रहा है। 1941 के मध्य में बिहार शरीफ में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस ओर हिन्दुमहासभा द्वारा पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने का निर्णय के परिणाम स्वरूप सम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए। दंगा इतना विस्फोटक हो गया कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस के सचिव मथुरा प्रसाद और शाम मुहम्मद ओजैर ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बिहार के अधिकांश जगहों पर दंगा भड़क गया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी के नुतृत्व में कांग्रेस शांति दल का गठन किया। 1942 में लार्ड वेवेल के समय कांग्रेस की "भारत छोड़ों" की मांग समानान्तर मुस्लिम लीग के महासचिव नबावजादा लियाकत अली खाँ ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा– "पाकिस्तान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" हमने इसे हासिल करने का ढृढ़ संकल्प लिया है। लगभग इसी तरह का मिलता जूलता विचार ख्वाजा नमीमुद्दीन ने 29–30 अप्रैल को आयोजित जमूई के सम्मेलन में रखा।[3]

24 से 27 दिसम्बर 1942 के बीच काराँची में होने वाले मूस्लिम लीग सम्मेलन के बाद बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के सदस्य भी उत्साहित थे। उन्हें आशा थी कि मुहम्मद अली जिन्ना की "कमिटि ऑफ एक्सन" प्रांतीय लीग संगइन को नयी शक्ति प्रदान करेगी। बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग के आदेशनुसार प्रांत के सभी लीग शाखाओं ने 23 मार्च 1944 को उर्दू दिवस मनाया ओर वायसराय के विरूद्ध हिन्दुस्तानी को कथित प्रोत्साहन देने का विरोध किया गया। 23 मार्च 1944 को बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग के आदेशानुसार पाकिस्तान दिवस मनाया गया। गया में 9–10 अप्रैल 1944 को पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बंगाल के प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने की थी। सम्मेलन में लाहौर प्रस्ताव में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए एक बर फिर पाकिस्तान मांग दुहराई गई। नवावजादा लियाकत अली खाँ ने प्रतिनिधियों के सम्बोधित करते हुए कहा "पाकिस्तान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने इसे हासिल करने का ढृढ़ संकल्प कर लिया है।" लगभग इसी तरह का मिलता जुलता विचार ख्वाजा नमीमुद्दीन ने 29–30 अप्रैल को आयोजित जमुई के पाकिस्तान सम्मेलन में रखा।

1944 के सितम्बर में जब गाँधी जी ने जिन्ना के साथ राजाजी प्रस्ताव पर वार्ता प्रारंभ की, जिन्ना सभी प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार था परन्तु पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेने के बादं गाँधीजी किसी भी स्थिति में मुसलमानों के पृथम राष्ट्र देने के लिए तैयार नहीं थे। फलतः वार्ता विफल रही और मार्च 1945 में जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा की कि "पाकिस्तान की मांग पर कोई समझौता नहीं किया सजा सकता हम संयुक्त भारत के आधार पर कोई संविधान स्वीकार नहीं करेगें।"

गाँधी जिन्ना वार्ता का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम लीग और जिन्ना को मिला। जिन्ना का महत्व मुस्लिम लीग में बढ़ गया। भारत के सभी मुस्लिम संगठन एक मंच पर आ गये जिसे जिन्ना से इस सुअवसर का लीा उठाकर, अब तक उपेक्षित रहे मुस्लिम जमात और समुदाय का शामिल कर लिया। अब जिन्ना मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि थें और कांग्रेस के लिए उनकी उपेक्षा करना नामुमकिन था।"[4]

10 सितम्बर 1945 को लार्ड वेवेल ने एक संविधान निर्मात्री परिषद की घोषणा कर कहा "हमें सबसे पहले चुनाव करने चाहिए जिससे भारतीय निर्वाचकों की इच्छा का पता लग जाए। 21 सितम्बर को कांग्रेस ने

एक सात सदस्यों वाली उप समिति गठित की जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, आसफ अली पट्टाभि सितारमैया तथा शंकर देव शामिल थे।

बिहार में कांगेसी मंत्रीमंडल के स्थापना के बाद साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा। वस्तुतः मुस्लिम लीग कांग्रेसी मंत्री मंडल को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे को अपना रही थी। यद्यपि कांग्रेस जन लीग द्वारा फैलाये जा रहे अफवाहजनित बातें को शांति सभओं के माध्यम से समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे फिर भी उनके प्रयास सार्थक नहीं हुए और दिन प्रतिदिन साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ता गया।

जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव पर अधिकांश राजनैतिक पक्षों का ध्यान केन्द्रित रहाह। बिहार से कांग्रेस ने सच्चिदानन्द सिन्हा, राजेन्द्र प्रसाद, श्रीमति सरोजनी नायडू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दूल कयूम अंसारी तथा चार अन्य महिलाओं को प्रत्याशी मनोनित किया गया। संविधान सभा में कांग्रेस को अजेय बहुमत मिला परन्तु मुस्लिम लीग ने अपने साथ विश्वासघात बताया 16 अगस्त को लीग ने देश भर में प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया। इन गतिविधियों के कारण साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा। बिहार के समीपस्थ बंगाल की राजधानी कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक दंगा शुरू हुआ। कई दिनों तक भयानक मार–काट एवं लूट–पाट का तांडव चला। उल्लेखनीय है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का मंत्री मंडल था तथा मंत्री मंडल ने अपनी गलतियों से दंगा को रोकने के बदले सहायता ही पहूँचायी थी।[5] "स्वाभाविक रूप से इस दंगा का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में अनेक शहरों, कस्वों में हिन्दु–मुस्लिम दंगा हुए। नोआ खली नरसंहार की घटना के बाद बिहार में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा और अक्टूबर के अंत में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे भड़कें पटना, छपड़ा, जहानाबाद, बांका, भागलपुर में साम्प्रदायिक दंगा भड़कते ही प्रशासन ने कठोर कारवाई कर शांत कर दिया। दंगाईयों पर नियंत्रित करने के लिए सैनिको की सहायता ली गयी। कई स्थनों पर हिन्दुओं पर सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया।" किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नजरबंद करने, जूलसो, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया।"[6] मुस्लिम लीग बिहार के साम्प्रदायिक दंगों का भरपूर लाभ उठाना चाहती थी।

31 जनवरी 1947 को करांची में मुस्लिम की कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने संविधान एभा को एक "गुट की सभा में परिणत "कर दिया है जबकि संविधान सभा में हर सम्प्रदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था और जानबुझकर मुस्लिम लीग के सदस्य अधिवेशन में अनुपस्थित रहे।

सामाजिक विभेद तथा साम्प्रदायिक तनाव के इस विकट घड़ी में 5 मार्च 1947 को गाँधी का बिहार आगमन हुआ। शांति और सद्भावना का संदेश लेकर गाँधी ने बिहार का सघन दौड़ा किया। वे प्रतिदिन प्रार्थना सभा में एकता तथा सामजिक सद्भाव का संदेश देते। उनके भाषणों की प्रतियाँ हवाई जहाज से ग्रामीण इलाकों में गिरवाई गई। गांधी जी पीड़ित मुसलमान परिवारों से भरी मिले। बिहार प्रांतीय मस्लिम लीग ने सिर्फ विस्थपित के पुर्नवास की मांग कर रही थी बल्कि बिहार विभाजन की भी योजना भी तैयार कर रही थी।इस योजना के अन्तर्गत पूर्णिया, द0 भागलपुर, द0 मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, गया को मुस्लिम क्षेत्र बनाने की आवश्यक्ता पर जोर दिया था। किशनगंज में आयेजित बिहार प्रांतिय मुस्लिम लीग के सम्मेलन में राजा भजनफार अली ने पूर्णिया, उ0 भागलपुर, उ0 मुंगेर, और संथलपरगानाको बंगाल प्रांत में मिलाने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। इस सम्मेलन में उन सभी मुसलमानों को "कौम का शत्रु "कहा गया जो कांग्रेस मंत्रीमंडल में शामिल थे अथवा कांग्रेस सदस्य थे।"[7]

अंततः माउंटवेटन योजना जो भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में बँटवारे का प्रस्ताव था। भारत वासियों का एक विशाल समूह विभाजन का विरोधी था परन्तु मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण साम्प्रदायिक दंगा भड़का और अंततः माउंटवेटन योजना के आधार पर ब्रिट्रिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियत 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया और 14–15 अगस्त 1947 की मध्य रात्री के समय भारत स्वंतत्र हो गया।

संदर्भ ग्रंथः–

[1] दी बिहारी : 7 जनवरी 1910

[2] एस0 सिन्हा (1944)

[3] इंडियन स्टेचुरी कमीशन रिपोट–टवस–2 लंदन–1930. च्30

[4] आर0एस0वस्वी (1964) लार्ड मिन्टो एन्ड दी इंडियन नेशलन मूवमेंट

[5] अजीत कुमार–पृ0–79

[6] अजीत कुमार पृ0–79

[7] अजीत कुमार : बिहार में अंगरेजी राज्य और स्वतंत्रता आन्दोलन–159–169